

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चिखली.
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- चिखली

राजीनामा

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,,
चिखली

दिनांक 28/10/21

देवदत्त पट्टण / पुर्णेश्वर बनाम अश्वत्थामा, कुमलेश, रामेश पि.,
प्रकरण संख्या :- 24/18 अतिरिक्त धारा 133(2) एच आर एच 1901/3/8/1/21

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

मौजा चिखली में स्थित प्लॉट नं. 1365 में 0.0771 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1333 में 0.1133 है। भूमि में से 0.0363 वर्ग मीटर क्षेत्रफल धूम 0.1334 है। इति भूमि के प्राचीन प्रतिवादी अश्वत्थामा कुमलेश, रामेश पिता पुर्णेश्वर पट्टण भाषी बादी श्री देवदत्त पट्टण पिता पुर्णेश्वर पट्टण भाषी से राजीनामा तय किया है और हमारे मिली प्रकार का कोई विवाद नहीं रहे। दोनों पक्ष सहमत हैं। राजीनामा करा गया है। मोता: प्रा. पत्र अश्वत्थामा कुमलेश।
अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- वादी पक्ष 1. देवदत्त
- 2.
- 3.
- 4.

- प्रतिवादी पक्ष 1. अश्वत्थामा कुमलेश
- 2. रामेश
- 3. पुर्णेश्वर पट्टण
- 4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(वादी पक्ष) नाम अश्वत्थामा कुमलेश

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम अश्वत्थामा कुमलेश

प्रार्थी/वादी श्री देवदत्त पट्टण एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी अश्वत्थामा कुमलेश, रामेश द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्ताक्षर पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल भिसल रहे।

हिसामत (ह0 सदस्य) शंकर (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
चिखली जि, इंगरपुर